



प्रेस विज्ञप्ति

26/02/2026

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एयरसेल-मैक्सिस मामले में धन शोधन के अपराध के संबंध में तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदंबरम के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति आदेश माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत

प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत ईसीआईआर संख्या 05/डीजेड/2012 में जांच प्रारंभ की थी। यह जांच एयरसेल-मैक्सिस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिनांक 09.10.2011 को पंजीकृत प्राथमिकी संख्या आरसी-डीएआई-2011-ए-0022 के आधार पर प्रारंभ की गई थी, जो भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120-बी सहपठित धारा 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 8, 13(2) एवं 13(1)(d) के अंतर्गत दंडनीय अपराधों से संबंधित है।

वर्तमान मामले में जांच से यह स्थापित हुआ है कि तत्कालीन वित्त मंत्री श्री पी. चिदंबरम द्वारा कथित प्रतिफल (क्विड प्रो क्वो) के बदले एयरसेल-मैक्सिस को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की स्वीकृति प्रदान की गई। एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेशक (मैक्सिस) ने 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 3,565.91 करोड़) के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भारत सरकार की स्वीकृति हेतु आवेदन किया था, जिसके अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति (सीसीईए) थी। तथापि, व्यापक षड्यंत्र के तहत दिनांक 20.03.2006 को तत्कालीन वित्त मंत्री श्री पी. चिदंबरम द्वारा धोखाधड़ीपूर्वक एवं कपटपूर्वक स्वीकृति प्रदान की गई, जबकि वे केवल ₹ 600 करोड़ या उससे कम के कुल निवेश प्रस्तावों पर विचार एवं अनुमोदन करने के लिए सक्षम थे।

जांच में यह स्थापित हुआ है कि ₹ 1.16 करोड़ की अवैध पारितोषिक राशि श्री कार्ति पी. चिदंबरम को उनकी कंपनियों मेसर्स एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड (एएससीपीएल) तथा मेसर्स चेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (सीएमएसपीएल) में प्राप्त हुई। जांच से श्री पी. चिदंबरम एवं उनके पुत्र श्री कार्ति पी. चिदंबरम के मध्य वित्तीय लेन-देन का भी खुलासा हुआ है। यह भी पाया गया है कि एएससीपीएल के कोष का उपयोग श्री पी. चिदंबरम के लिए तथा उनकी ओर से किया गया।

₹ 1.16 करोड़ की अपराध की आय को दिनांक 23.09.2017 के अस्थायी कुर्की आदेश संख्या 04/2017 के माध्यम से अस्थायी रूप से कुर्क किया गया था, जिसे माननीय निर्णायक प्राधिकारी द्वारा दिनांक 12.03.2018 के आदेश के माध्यम से पुष्टि की गई।

इसके पश्चात धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 44 एवं 45 सहपठित धारा 3 एवं 4 के अंतर्गत दिनांक 13.06.2018 को अभियोजन शिकायत तथा दिनांक 25.10.2018 को अनुपूरक अभियोजन शिकायत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), राउज़ एवेन्यू न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष दायर की गई, जिसमें श्री पी. चिदंबरम को अभियुक्त संख्या ए-6 के रूप में आरोपित किया गया। माननीय विशेष न्यायालय ने दिनांक 27.11.2021 के आदेश के माध्यम से धन शोधन के अपराध का संज्ञान लिया। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मामले के परीक्षण को शीघ्रता प्रदान करने हेतु सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 06.11.2024 को “प्रवर्तन निदेशालय बनाम बिभू प्रसाद आचार्य एवं अन्य, आपराधिक अपील संख्या 4314-4316/2024” में निर्णय पारित करते हुए यह अभिधारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197(1) के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 44(1)(ख) के अंतर्गत दायर शिकायतों पर भी लागू होती है। उक्त निर्णय के पश्चात धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आरोपित अनेक अभियुक्तों द्वारा विभिन्न न्यायिक मंचों पर परीक्षण कार्यवाही को चुनौती दी गई, जिसके परिणामस्वरूप परीक्षण में विलंब हुआ। ऐसे विलंब को दूर करने तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन हेतु प्रवर्तन निदेशालय ने लोक सेवकों से संबंधित सभी अभियोजन शिकायतों में अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही शीघ्रतापूर्वक प्रारंभ की है।

अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के आलोक में, वर्तमान मामले में श्री पी. चिदंबरम के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी से अभियोजन स्वीकृति मांगी गई। श्री पी. चिदंबरम के संबंध में दिनांक 10.02.2026 को अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई, साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218) के अंतर्गत दिनांक 10.02.2026 का आदेश भी पारित किया गया, जिसके द्वारा तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदंबरम के विरुद्ध धन शोधन के अपराध में अभियोजन की अनुमति दी गई।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मामले के परीक्षण को शीघ्रता प्रदान करने के उद्देश्य से उक्त अभियोजन स्वीकृति आदेश माननीय विशेष न्यायालय, राउज़ एवेन्यू, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।